

पैटीकेअ ६०.२१/२५

चालानी रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 3/4 उ0प्र0 गुण्डा नियन्त्रण अधि० गुंडा एक्ट थाना..... जनपद चन्दौली।
सेवा में,

श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट महोदय
जनपद चन्दौली।

G12 (2-21) 25

द्वारा- उचित माध्यम

विषय:- सतेन्द्र पुत्र बुद्धू नि0ग्राम सोहदवार चौकी धरौली थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली, उम्र 47 वर्ष के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत निवारक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में- महोदय,

निवेदन है कि सतेन्द्र पुत्र बुद्धू नि0ग्राम सोहदवार चौकी धरौली थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली, उम्र 47 वर्ष का निवासी है। यह एक शातिर किस्म का आपराधिक "गुण्डा" है। यह अभ्यस्ततः क्षेत्र में व्यक्तियों के साथ किसी न किसी बहाने मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी व महिलाओं से छेड़खनी करना आदि आपराधिक कृत्य कारित करता है, जो बीएनएस की धारा 2(ख)(1) व (4) अध्याय 16 व 22 के अधीन दण्डनीय अपराध है। इसके आपराधिक कृत्यों से आसपास के/ थाना क्षेत्र में इतना भय व आतंक व्याप्त है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाने एवं न्यायालय में गवाही देने का साहस नहीं कर पाता है। क्षेत्र में गहनता से जांच पड़ताल की गयी तो सभी तथ्य सही पाये गये एवं सतेन्द्र पुत्र बुद्धू की छवि (reputation) खराब पायी गयी। इसके आपराधिक क्रियाकलापों से क्षेत्र की आम जनता हमेशा अपने जानमाल को असुरक्षित महसूस करती रहती है।

इसके विरुद्ध सारवान आरोपों की सामान्य प्रकृति (General Nature of Material allegations)

निम्नलिखित है-

1. मारपीट, गाली गलौज करना
2. जान से मारने की धमकी देना
4. महिलाओं से छेड़खानी

उक्त आरोप के सम्बन्ध में निम्न साक्ष्य उल्लेखनीय हैं-

क्र.	मु0अ0सं0	धारा	घटाई गयी धारा	बढ़ाई गयी धारा	आरोप पत्र में प्रेषित धारा	थाना	आरोप पत्र संख्या व दिनांक	परिणाम (दोषमुक्त/ विचाराधीन)
1	69/2025	74,115(2), 352,351(2), 324(2),117(2) BNS व 7/8 पाक्सो एक्ट	-	-	74,115(2), 352,351(2), 324(2),117(2) BNS व 7/8 पाक्सो एक्ट	सैयदराजा	आरोप पत्र-1/ 28.06.2025	विचारधीन

1. दिनांक 31.01.2025 को मा0न्यायालय CJM चन्दौली के धारा 173(2) BNSS के आदेश के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार वादी श्री जितेन्द्र साहनी पुत्र लालजी साहनी नि. ग्राम सोहदवार थाना सैयदराजा जिला चन्दौली ने सूचना दिया है कि विपक्षी गण स्वयं तथा स्वयं के परिवार वालों से रंजिश रखते हैं। 2. यह कि प्रार्थी ने अ.नं. 479, 495 आराजी स्थित मौजा सोहदवार परगना मझवार तहसील चन्दौली का धारा 116 उ0प्र0रा0 संहिता के तहत न्यायालय अतिरिक्त उपजिलाधिकारी चन्दौली से दिनांक 13.12.2013 ई0 को कुराफाट कराया उक्त कुरा फाट के अनुपालन में उपजिलाधिकारी सदर चन्दौली के आदेश 19.11.2024 ई0 के क्रम में राजस्व निरीक्षक मय पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पत्थर नसब कराया गया। अभियुक्तगण नामांकित दिनांक 14.01.2025 ई0 को रात्रि 8 बजे पत्थर उखाड़ रहे थे। अभियुक्तगण नामांकित प्रार्थी की पुत्री कुमारी पूजा द्वारा मना करने पर अभियुक्तगण एक राय होकर प्रार्थी की पुत्री पूजा

धुन्नी शरीर के हिस्से को टच कर छेड़खानी करने लगे तथा लात मुक्का घूसा से मारने पीटने लगे। 3. यहकि अभियुक्तगण प्रार्थी के पुत्री कुमारी पूजा के कान की बाली को छीन लिये। 4. यहकि प्रार्थी पुत्री के शोर पर मौके पहुँचा तो अभियुक्तगण प्रार्थी को भी माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली व जान से मार डालने की धमकी देते हुए मारने के लिये दौड़ा लिये। प्रार्थी जान बचाकर अपने घर मे घुस गया तो अभियुक्तगण अपने छत पर चढ़कर प्रार्थी के घर पर ईट पत्थर फेकने लगे जिससे प्रार्थी के सीमेन्ट का करकट फट गया, जिससे प्रार्थी की जान माल की नुकसान हो जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 69/2025 धारा 74,115(2), 352,351(2), 324(2),117(2) BNS व 7/8 पाक्सो एक्ट में पंजीकृत कराया। अभियोग में साक्ष्य संकलन के आधार पर गोलू पुत्र बिरेन्द्र नि0 उपरोक्त की नामजदगी घटना में संलिप्तता न होने के कारण गल की गयी है व धारा.... की बढोत्तरी करते हुए आरोप पत्र संख्या A-1/ दिनांक 28.06.2025 को मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है जो विचाराधीन मा0 न्यायालय है। उपरोक्त अपराध बीएनएस के अध्याय 16 व 22 अन्तर्गत आता है। तथा सभी अपराधों का विवरण IIF-I व IIF-V संलग्न है।

(02)- बीट कर्मचारी के द्वारा अंकित कराई गयी दिनांक 15.09.2025 को रपट नं0-048 समय 19.28 बजे पर अंकित है।

(03)- थाना प्रभारी के द्वारा बीट सूचना र0न0 051 समय 18.18 बजे, दिनांक 16.09.2025 व इसकी विस्तृत जांच आख्या से उपरोक्त पंजीकृत अभियोग सतेन्द्र पुत्र बुद्धू के आपराधिक कृत्यों में लिप्त होने एवं छवि (reputation) खराब होने को प्रमाणित करते हैं और उसके आदतन अपराधी (Habitual offender) होने की पुष्टि करते हैं, इसके द्वारा बिना जनपद चन्दौली को छोड़े इस प्रकार के आपराधिक कृत्यों को पुनः कारित करते रहने की प्रबल सम्भावना है। आरोपी के कृत्य अराजक और शान्ति व्यवस्था को चुनौती देने वाले हैं। थानाक्षेत्र जनपद की शान्ति व सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए के विरुद्ध विशेष रुप से सतर्क दृष्टि रखे जाने के लिये वैधानिक नियंत्रण नितान्त आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः महोदय से निवेदन है कि अभियुक्त सतेन्द्र पुत्र बुद्धू नि0ग्राम सोहदवार चौकी धरौली थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली, उम्र 47 वर्ष बीएनएस की धारा 2(ख)(1) व (4) अध्याय 16 व 22 के अधीन दण्डनीय अपराध को अभ्यस्ततः कारित व दुष्प्रेरित करता है, ऐसी दशा में इसके विरुद्ध धारा 3/4 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गत निवारक कार्यवाही किये जाने हेतु अनुमोदित करने की कृपा करें ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम की जा सके।

अभियुक्त का सम्पूर्ण आपराधिक इतिहास निम्नवत है-

क्र.	मु0अ0सं0	धारा	घटाई गयी धारा	बढ़ाई गयी धारा	आरोप पत्र में प्रेषित धारा	थाना	आरोप पत्र संख्या व दिनांक	परिणाम (दोषमुक्त/ विचाराधीन)
1	69/2025	74,115(2), 352,351(2), 324(2),117(2) BNS व 7/8 पाक्सो एक्ट	-	-	74,115(2), 352,351(2), 324(2),117(2) BNS व 7/8 पाक्सो एक्ट	सैयदराजा	आरोप पत्र-1/ 28.06.2025	विचाराधीन

संलग्नक:- समस्त प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र, बीट सूचना व जांच।

नोट:- इटालिक फॉन्ट (italic font) में अंकित तथ्य साक्ष्यों की उपलब्धता के आधार पर परिवर्तनीय है।

पुलिस अधीक्षक
जनपद चन्दौली।


पुलिस अधीक्षक
चन्दौली

उपजिला प्रभारी
सदर, चन्दौली।



क्षेत्राधिकारी
सदर, चन्दौली।

क्षेत्राधिकारी
सदर, चन्दौली।



प्रभारी निरीक्षक
थाना सैयदराजा
जनपद चन्दौली।